

सं. 1503/21/2017-टीवी(आई)
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ब्राडकास्टिंग विंग

नई दिल्ली, दिनांक: 9 नवंबर 2022

टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश

भाग I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभण-** (1) इन्हें भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देश, 2022 (जिन्हें इसमें आगे 'दिशानिर्देश' कहा गया है) कहा जाएगा।
 - (2) ये संपूर्ण भारत पर लागू होंगे।
 - (3) ये 9 नवंबर 2022 से प्रभावी होंगे।
2. **परिभाषाएं-** इन दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) 'ब्रॉडकास्ट सेवा' से आवेदकों, सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों के साथ संचार करने के लिए इसमें प्राप्त आवेदन पत्र, उनपर कार्रवाई करने और उनका प्रसारण करने के लिए मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है।
 - (ख) 'कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।
 - (ग) 'नामित साझेदार' से सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ज) के तहत यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।
 - (घ) 'भक्ति चैनल' से ऐसा टीवी चैनल अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से मंत्रालय द्वारा चिन्हित भक्ति/अध्यात्मिक/योग सामग्री का प्रसारण करता है।
 - (ङ) कंपनी के 'निदेशक' से प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक/कार्यकारी निदेशक, अभिप्रेत है परंतु इसमें स्वतंत्र निदेशक, शामिल नहीं हैं, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय XI में उल्लिखित है।

- (च) 'डीएसएनजी/एसएनजी'से डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग अभिप्रेत है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी/उपकरण आधारित सैटेलाइट है जो किसी टीवी चैनल/टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब से टीवी स्टूडियो से बाहर दूरस्थ स्थानों से प्रसारण की अनुमति देता है।
- (छ) 'ईएनजी' सेवाओं से डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग अभिप्रेत है और यह इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियां हैं जो टीवी स्टूडियो से बाहर दूरस्थ स्थानों से टीवी चैनल/टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब/न्यूज रिपोर्टर को डीएसएनजी/एसएनजी को छोड़कर नेटवर्क/इंटरनेट/लीज्ड लाइन या अन्य किसी भी माध्यम/उपकरण (बैग पैक सहित) का उपयोग करके प्रसारण की अनुमति देता है।
- (ज) किसी भी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में 'वित्तीय वर्ष' से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है, और जहां इसे किसी वर्ष की 1 जनवरी को या इसके बाद निगमित किया गया है, अभिप्रेत है अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अवधि अभिप्रेत है जिसके संबंध में कंपनी या निगमित निकाय का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
- (झ) 'मुख्य प्रबंधन कार्मिक'से कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 2 की उप-धारा (51) के तहत परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (ञ) 'एलएलपी' से सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत कोई सीमित देयता साझेदारी अभिप्रेत है।
- (ट) 'मंत्रालय' से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है।
- (ठ) 'राष्ट्रीय चैनल' से किसी क्षेत्रीय चैनल या भक्ति चैनल को छोड़कर कोई अन्य टीवी चैनल अभिप्रेत है।
- (ठ) 'न्यूज चैनल' से कोई प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल अभिप्रेत है जो मुख्यतः समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री के कार्यक्रम प्रसारित करता है।
- (ड) 'गैर-न्यूज चैनल' से किसी न्यूज चैनल को छोड़कर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल अभिप्रेत है।
- (ढ) 'एनओसीसी' से नेटवर्क प्रचालन नियंत्रण केंद्र, दूरसंचार विभाग अभिप्रेत है।
- (ण) 'गैर-प्रचालन चैनल' से ऐसा चैनल अभिप्रेत है जिसका सिग्नल मंत्रालय द्वारा निलंबन के कारणों को छोड़कर लगातार 60 दिन की अवधि तक भारत में अपलिंक और/या डाउनलिंक नहीं किया जा रहा है।
- (त) 'कार्यक्रमसंहिता' से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहिता अभिप्रेत है।

- (थ) 'क्षेत्रीय चैनल' से ऐसा टीवी चैनल अभिप्रेत है जो भक्ति चैनल नहीं है जिससे अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अलावा भारतीय भाषा में प्रसारण किया जाता है।
- (द) 'साझेदारी धारण पद्धति' से विभिन्न निवेशकों द्वारा धारित किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या अभिप्रेत है।
- (ध) 'टेलीपोर्ट' से एक भू-केंद्र स्थल अभिप्रेत है जिससे डब्ल्यूपीसी के विधिवत अनुमोदन से ऑडियो, वीडियो सामग्री चलाने वाले कई टीवी चैनलों को अनुमत्य फ्री-क्वेंसी बैंड पर भू-स्थानिक सैटेलाइट से अपलिंक किया जा सकता है।
- (न) 'टेलीपोर्ट हब' से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए टेलीपोर्टों का ढांचा अभिप्रेत है जहां विभिन्न सैटेलाइटों के लिए कई एंटीना स्थापित किए जाते हैं, और प्रत्येक सैटेलाइट के लिए प्रत्येक एंटीना हेतु डब्ल्यूपीसी से बेतार प्रचालन लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- (प) 'डब्ल्यूपीसी' से बेतार आयोजना एवं समन्वय, दूरसंचार विभाग अभिप्रेत है।
- (फ) "श्रमजीवी पत्रकार" का अभिप्राय वही होगा जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमजीवी स्थिति संहिता, 2020 के अंतर्गत दिया गया है।

भाग II

टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब

3. **आवेदन प्रस्तुत करना** - (1) कोई कंपनी या एलएलपी टेलीपोर्ट/टेलीपोर्ट हब स्थापित करने के लिए **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो:

- (क) इसका जो, उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया हो, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन को है, **परिशिष्ट II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलना पत्र में दर्शाया गया है।
 - (ख) कंपनी/एलएलपी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुरूप हो;
- (2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी और यह अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालयसे अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

(3) यदि आवश्यक समझा जाए, तो लिखित में कारण दर्ज करते हुए मंत्रालय आवेदन में किए गए दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए वास्तविक परिसर/स्थान का निरीक्षण करवा सकता है।

4. **अनुमति प्रदान करना** – (1) मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से जहां तक हो सके अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक कंपनी/एलएलपी अनुमति दिए जाने के योग्य है, आशय-पत्र (एलओआई) जारी करेगा जिसमें कंपनी/एलएलपी से प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निर्धारित अवधि के भीतर **परिशिष्ट-III** में यथा उल्लिखित निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) तथा **परिशिष्ट-IV** में यथा उल्लिखित सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निष्पादन बैंक गारंटी तथा सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करने के बाद, मंत्रालय प्राथमिकता के साथ ऐसे भुगतान की प्राप्ति और पीबीजी प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर टेलीपोर्ट स्थापित करने हेतु उस कंपनी/एलएलपी को लिखित आदेश द्वारा 10वर्षों के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

(3) उप-पैरा (1) के तहत किसी कंपनी/एलएलपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी:

(क) यह मंत्रालय के साथ 'अनुमति प्रदान करने का करार' नामक करार पर हस्ताक्षर करे;

(ख) यह **परिशिष्ट I** में यथा निर्धारित उस अवधि, जिसके लिए अनुमति दी गई है, का वार्षिक शुल्क तथा देरी से भुगतान का ब्याज अदा करे;

(ग) यह स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु डब्ल्यूपीसी को लागू शुल्क/रॉयल्टी अदा करे और अंतरिक्ष विभाग और डब्ल्यूपीसी द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों का पालन करें;

(घ) यह अनुमत्य टेलीपोर्ट से केवल उन टीवी चैनलों को अपलिंक करे जिनको मंत्रालय द्वारा अनुमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है, और मंत्रालय द्वारा किसी चैनल की अनुमति/अनुमोदन वापस लेने पर या मंत्रालय द्वारा ऐसी समयावधि, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो; के लिए ऐसे अपलिंकिंग को बंद करने हेतु विशिष्ट आदेश परतुरंत उस चैनल की अपलिंकिंग बंद करे।

(ङ) यह **परिशिष्ट III** में यथा निर्धारित टेलीपोर्ट चालू करने के संबंध में रोल आउट के दायित्व का पालन करे।

(4) मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है।

परंतु यह कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में उस कंपनी/एलएलपी को इसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

(5) जैसे ही टेलीपोर्ट चालू होगा, कंपनी/एलएलपी इसके चालू होने की स्थिति के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगी।

5. **अनुमति का नवीकरण-** (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे पैरा 4 के तहत अनुमति दी गई है, अनुमति के नवीकरण के लिए उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होगी, के समाप्त होने से कम से कम 3 माह पहले **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर आवेदन कर सकती है।

(2) नवीकरण की अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो पैरा 3 और 4 के तहत अनुमति के लिए अपेक्षित है।

भाग III टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग

6. **आवेदन प्रस्तुत करना** – (1) कोई कंपनी या एलएलपी टेलीपोर्ट (टेलीपोर्टों) और सैटेलाइट (सैटेलाइटों) से न्यूज टीवी चैनल अपलिंक करने और गैर-न्यूज टीवी चैनल को अपलिंक करने के लिए अलग-अलग जैसा कि आवेदन में विनिर्दिष्ट किया गया है **परिशिष्ट-I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

- (क) इसके, उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया हो, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन को है, **परिशिष्ट-II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलना पत्र में दर्शाया गया है।
- (ख) यह आवेदन के साथ चैनल का प्रस्तावित नाम और लोगो तथा नाम और लोगो के स्वामित्व संबंधी ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे या ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करे।

परंतु यह कि यदि प्रस्तावित नाम और लोगो पर कंपनी का स्वामित्व नहीं है, या कंपनी/एलएलपी द्वारा इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो कंपनी/एलएलपी द्वारा, पंजीकृत ट्रेडमार्क मालिक से या ऐसे व्यक्ति से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो अनापत्ति की तारीख से ठीक पहले कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए किसी भी श्रेणी में ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है और उसने प्रसारण के लिए संगत श्रेणी में ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, प्रस्तुत किया जाएगा।

- (ग) यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करे;
- (घ) यह अपने आवेदन में अपने सभी शेयरधारकों, ऋण करारों और ऐसे अन्य करारों, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है, का उल्लेख करें;

- (ड) यह ऐसे किसी व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, का नाम, पता और पूरा ब्यौरा सूचित करे;
- (च) यह किसी भी विदेशी/अनिवासी भारतीय के नाम, पते और ब्यौरे का उल्लेख करे जिसे कंपनी/एलएलपी में परामर्शदाता के रूप में या अन्य किसी पदनाम से एक वर्ष में 60 से अधिक दिनों के लिए या नियमित कर्मचारी के रूप में नियोजित/नियुक्त किया जाना है;
- (छ) कंपनी के निदेशक मंडल में अधिकांश निदेशक और मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा संपादकीय स्टॉफ निवासी भारतीय हो;
- (ज) कंपनी/एलएलपी का अपने संसाधनों और परिसंपत्तियों पर संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण, प्रचालन स्वतंत्रता और नियंत्रण हो और चैनल के संचालन के लिए इसके पास पर्याप्त वित्तीय सामर्थ्य हो;
- (झ) न्यूज और करंट अफेयर्स के चैनलों के संबंध में, आवेदक कंपनी/एलएलपी का प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय व्यक्ति के हाथ में होगा और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और/या चैनल प्रमुख, चाहे उसका पदनाम कोई भी हो भारतीय निवासी होगा;
- (2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी और यह अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय, और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, अन्य प्राधिकरणों से अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।
- (3) यदि आवश्यक समझा जाए, तो लिखित में उसके कारण दर्ज करते हुए, मंत्रालय आवेदन में किए गए दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए वास्तविक परिसर/स्थान का निरीक्षण करवा सकता है।

7. अनुमति प्रदान करना – (1) मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से जहां तक हो सके अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक कंपनी/एलएलपी अनुमति दिए जाने के योग्य है, आशय-पत्र (एलओआई) जारी करेगा जिसमें कंपनी/एलएलपी से प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और निर्धारित अवधि के भीतर **परिशिष्ट-III** में यथाउल्लिखित निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) और **परिशिष्ट-IV** में यथा उल्लिखित प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ष का अनुमति शुल्क अदा करने और बैंक गारंटी निष्पादन एवं प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने के बाद, मंत्रालय अधिमानतः ऐसे भुगतान की प्राप्ति और पीबीजी प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर उस माह, जिसमें चैनल चालू हुआ है, के अंत से 10वर्षों के लिए चैनल की अपलिंकिंग हेतु उस कंपनी/एलएलपी को लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत किसी कंपनी/एलएलपी को अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :

- (क) यह उस अवधि, जिसके लिए अनुमति दी गई है, का **परिशिष्ट-I** में यथा निर्धारित वार्षिक अनुमति शुल्क तथा देरी से भुगतान का ब्याज अदा करे,
- (ख) यह **परिशिष्ट-III** में यथा निर्धारित टीवी चैनल को चालू करने के संबंध में रोल आउट के दायित्व का पालन करें।
- (ग) यह धारा 8 में निर्धारित विशेष शर्तों का पालन करें।

(4) मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है। परंतु यह कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में उस कंपनी/एलएलपी को इसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

(5) कंपनी/एलएलपी, टीवी चैनल चालू होने पर, इसके चालू होने की स्थिति के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगी और मंत्रालय या इसकी विनिर्दिष्ट एजेंसी को अपने सभी तकनीकी पैरामीटर प्रदान करेगी।

8. सैटेलाइट टीवी चैनल अपलिंक करने संबंधी विशेष शर्तें - (1) कंपनी/एलएलपी, जिसे पैरा 7 के तहत कोई टीवी चैनल अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, उसमें निर्धारित शर्तों के अलावा निम्नलिखित का भी पालन करेगी :

(क) मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों के विधिवत अनुमोदन के बाद आवेदक द्वारा निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंकिंग की जा सकती है जो आगे इस शर्त के अध्यक्षीन होगी कि किसी भी बैंड (सी-बैंड को छोड़कर) में अपलिंकिंग केवल इंक्रिप्टेड मोड में होगी।

(ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में यथा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं तथा इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना।

(ग) मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों पर सामग्री के विनियमन के लिए समय-समय पर विनिर्धारित किसी भी अन्य संहिता/मानकों, दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों का पालन करना।

(घ) 90 दिन की अवधि तक अपलिंक की गई सामग्री का रिकॉर्ड रखना और जब कभी अपेक्षित हो, इसे सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ङ) ऐसी कोई भी सूचना प्रस्तुत करना जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।

(च) जब कभी अपेक्षित हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों या अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यक्रमों या उनकी सामग्री की निगरानी के लिए कंपनी की अपनी ही लागत पर आवश्यक निगरानी सुविधा प्रदान करना।

(छ) स्पैक्ट्रम के उपयोग के लिए डब्ल्यूपीसी विंग को लागू शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान करने सहित अंतरिक्ष विभाग और डब्ल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें।

(2) मंत्रालय, लिखित में कारण दर्ज करते हुए सैटेलाइट टीवी चैनल की वास्तविक सुविधाओं का निरीक्षण कर सकता है और इसकी सुविधाओं तथा दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है तथा कंपनी/एलएलपी ऐसे निरीक्षण की अनुमति देगी।

9. **अनुमति का नवीकरण** - (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे धारा 7 के तहत अनुमति दी गई है, उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होनी है, के समाप्त होने से कम से कम तीन माह पहले **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।

(2) नवीकरण हेतु अनुमति 10 वर्षों की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो पैरा 6, 7, 8 के तहत अनुमति के लिए अपेक्षित है और अगली उस शर्त के अधीन होगी कि चैनल को अनुमति की अवधि के दौरान पांच अथवा अधिक अवसरों पर कार्यक्रम संहिता अथवा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन सहित अनुमति की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया हो।

भाग-IV

सैटेलाइट टीवी चैनल की डाउनलिकिंग

10. **आवेदन प्रस्तुत करना** - (1) कोई कंपनी या एलएलपी किसी टीवी चैनल डाउनलिक करने के लिए **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो :

- (i) इसका जो, उस वर्ष, जिस वर्ष में आवेदन किया गया हो, से ठीक पहले के वित्त वर्ष के अंतिम दिन को है, **परिशिष्ट II** में विनिर्दिष्ट उतनी राशि का न्यूनतम निवल मूल्य हो, जैसा कि उसके उस वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित तुलना पत्र में दर्शाया गया है।
- (ii) इसकी भारत में व्यवसाय के इसके मुख्य स्थान के साथ भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति हो;
- (iii) इसके पास भारत के भू-भाग के लिए अपने स्वामित्व का चैनल होना चाहिए या इसके लिए उसके पास चैनल के लिए विज्ञापन और अंशदान राजस्व के अधिकार सहित विशिष्ट विपणन/वितरण अधिकार होने चाहिए, तथा उसे आवेदन के समय उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह है कि यदि कंपनी/एलएलपी के पास विशिष्ट विपणन/वितरण अधिकार हैं, भारत में चैनल के स्वामी की ओर से संविदा करने या सामान्य रूप से संविदा करने या चैनल के स्वामी द्वारा संविदा करने में सामान्य रूप से प्रमुख भूमिका निभाने का अधिकार होना चाहिए और वह इसका इस्तेमाल भी करें और ये संविदा:-

(क) चैनल के स्वामी के नाम; या

(ख) चैनल के स्वामी की स्वामित्व वाली संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण या इसके इस्तेमाल का अधिकार देने या यह कि चैनल के स्वामित्व के पास इस्तेमाल का अधिकार है; या

(ग) चैनल के स्वामी द्वारा सेवा प्रदान करने के संबंध में हों।

- (iv) यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करे।
- (v) यह कंपनी के सभी निदेशकों और इसके मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के नाम और ब्यौरे प्रस्तुत करे।
- (vi) यह डाउनलिकिंग और वितरण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले उपस्करों/उपकरणों की नामावली, मेक, मॉडल, निर्माताओं के नाम और पते, डाउनलिकिंग और वितरण प्रणाली के ब्लॉक स्कीमेटिक डायग्राम जैसे तकनीकी विवरण प्रस्तुत करे और 90 दिनों तक निगरानी तथा रिकॉर्ड रखने की सुविधाएं भी प्रदर्शित करे।
- (vii) इसे इन दिशानिर्देशों अथवा टीवी चैनलों के डाउनलिक से संबंधित 2011 या 2005 के दिशानिर्देशों के तहत ऐसी अनुमति धारित करने से अयोग्य घोषित न किया गया हो।
- (vii) डाउनलिक किए गए चैनल के पास प्रसारण के देश के विनियामक या लाइसेंसदाता प्राधिकारी द्वारा प्रसारण किए जाने हेतु लाइसेंस दिया गया हो या उसकी अनुमति दी गई हो, जिसका आवेदन करते समय प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों की दृष्टि से कार्यवाही की जाएगी और यह गृह मंत्रालय और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, अन्य प्राधिकरणों से, अनापत्ति और उनके अनुमोदन के अधीन होगा।

11. अनुमति प्रदान करना – (1) मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों से अनापत्ति और अनुमोदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि प्रस्तावित चैनल भारत में सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपयुक्त है और कि आवेदक कंपनी/एलएलपी अनुमति दिए जाने के योग्य है, टीवी चैनल की डाउनलिकिंग के लिए कंपनी/एलएलपी को लिखित में आदेश द्वारा अनुमति देगा।

(2) किसी चैनल, जिसे अन्य देशों से अपलिंक किया गया है, को डाउनलिंक करने के लिए इस पैरा के तहत अनुमति उस माह, जिसमें अनुमति जारी की गई है, के समाप्त होने से 10 वर्षों के लिए होगी।

बशर्ते कि किसी टीवी चैनल, जिसे भारत से अपलिंक किया गया है, के संबंध में डाउनलिंक करने की अनुमति, धारा 7 के तहत टीवी चैनल को अपलिंक करने की दी गई अनुमति के साथ समाप्त हो जाएगी।

(3) किसी कंपनी/एलएलपी को अनुमति प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

- (क) यह उस वर्ष, जिसमें टीवी चैनल चालू होता है, से **परिशिष्ट-I** में विनिर्दिष्ट राशि तथा **परिशिष्ट-I** में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क के देरी से भुगतान पर ब्याज सहित वार्षिक अनुमति शुल्क अदा करेगी और अनुमति से एक वर्ष के भीतर चैनल चालू करेगी। यह प्रतिभूति जमा राशि भी प्रस्तुत करेगी जैसाकि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **परिशिष्ट-IV** में उल्लिखित है।
- (ख) इन दिशानिर्देशों के तहत दूसरे देशों से अपलिंक किए गए चैनलों, और जब ऐसा चैनल समाचार और समसामयिक विषयों का चैनल है, ऐसे चैनल को
- (i) विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए तैयार नहीं किया गया है,
- (ii) एक मानक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, और
- (iii) उस देश के नियामक प्राधिकारी द्वारा इसके अपलिंक किए गए देश में टेलीकास्ट किए जाने की अनुमति है, को भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति का अनुरोध करने वाली कंपनी को अनुमति प्रदान करते समय **परिशिष्ट-I** में यथा विनिर्दिष्ट राशि को एकवारगी पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
- (ग) यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करेगी।
- (घ) यह खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) और इसके तहत बनाए गए नियमों, दिशानिर्देशों तथा जारी अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित करेगी।
- (ङ) यह मंत्रालय द्वारा टीवी चैनलों पर सामग्री के विनियमन के संबंध में समय-समय पर निर्धारित अन्य किसी भी संहिता/मानकों, दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों का पालन करेगी।
- (च) यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल ऑपरेटरों या भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत किसी डीटीएच ऑपरेटर या अपने मौजूदा दूरसंचार लाइसेंस के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता या मंत्रालय द्वारा जारी एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत

दिशानिर्देशों के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को सैटेलाइट टीवी चैनल सिग्नल रिशेप्शन डिकोडर प्रदान करेगी।

- (छ) यह डाउनलिकिंग और वितरण प्रणाली/नेटवर्क विनयास में किसी तरह के उन्नयन, विस्तार अथवा अन्य परिवर्तनों से पहले मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी।
 - (ज) यह सुनिश्चित करेगी कि इसके किसी भी चैनल, जिसका केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या डीटीएच दिशानिर्देशों या फिलहाल लागू अन्य किसी भी कानून के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या जिसका भारत में प्रसारण या संचारण या पुनः संचारण निषेध किया गया हो, को कूट लेखन (एनक्रिप्शन) या अन्य किसी भी माध्यम से भारत में प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
 - (झ) यह देश में ब्रॉडकास्ट सेवाओं को विनियमित करने और उनकी निगरानी के लिए स्थापित किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों और विनियमों का पालन करेगी।
 - (ञ) यह डाउनलिक किए गए कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को 90 दिन की अवधि तक रखेगी और जब कभी अपेक्षित हो, तो उसे केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
 - (ट) आवेदक कंपनी, जब भी अपेक्षित हो, मंत्रालय के प्रतिनिधि या अन्य किसी भी केंद्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी करने के लिए अपनी ही लागत पर आवश्यक निगरानी सुविधा प्रदान करेगी।
 - (ठ) किसी भी युद्ध, आपदा/राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं की स्थिति में, केंद्र सरकार को किसी भी या सभी चैनलों की डाउनलिकिंग/रिशेप्शन/प्रसारण और पुनःप्रसारण को विनिर्दिष्ट अवधि तक निषिद्ध करने की शक्ति होगी।
4. मंत्रालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए अनुमति देने से मना कर सकता है।

बशर्ते कि मना की गई ऐसी प्रत्येक अनुमति के बारे में कंपनी/एलएलपी को उसका कारण दर्शाते हुए सूचित किया जाएगा।

5. कंपनी/एलएलपी, टीवी चैनल चालू होने पर, मंत्रालय को उसके चालू होने की स्थिति के संबंध में सूचित करेगी और मंत्रालय या इसकी विनिर्दिष्ट एजेंसी को इसके सभी तकनीकी पैरामीटर प्रदान करेगी।

12. अनुमति का नवीकरण – (1) कोई कंपनी/एलएलपी, जिसे पैरा 11 के तहत अनुमति दी गई है, अनुमति के नवीकरण हेतु उस माह, जिसमें प्रारंभिक अनुमति की अवधि समाप्त होगी, की समाप्ति से कम से कम तीन माह पहले **परिशिष्ट-I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

(2) नवीकरण हेतु अनुमति 10 वर्षों की अवधि के लिए होगी और यह उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो पैरा 11 के तहत और अगली उस शर्त के तहत कि चैनल को अनुमति की अवधि के दौरान पांच अथवा अधिक अवसरों पर कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता के उल्लंघन सहित अनुमति की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, किसी अनुमति के लिए अपेक्षित है।

भाग-V

समाचार एजेंसी

13. आवेदन प्रस्तुत करना - (1) कोई कंपनी अथवा एलएलपी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन टीवी चैनल पर अपलिंक करने के लिए न्यूज एजेंसी की स्थापना हेतु **परिशिष्ट I** में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है:

- (क) कंपनी/एलएलपी के द्वारा नियोजित कार्यरत पत्रकार हो जो कंपनी/एलएलपी की ओर से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) से मान्यता प्राप्त हो;
- (ख) कंपनी/एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार हो;
- (ग) कंपनी/एलएलपी का नियंत्रण और प्रबंधन भारतीयों के पास होगा;

(2) ऑनलाइन आवेदन पर पात्रता शर्तों के दृष्टिकोण से कार्रवाई की जाएगी।

14. अनुमति प्रदान करना – (1) मंत्रालय, अधिमानतः जहां तक हो सके गृह मंत्रालय से अनापत्ति/अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि कंपनी/एलएलपी अनुमति प्रदान करने योग्य है, उस माह जिसमें अनुमति प्रदान की गई है, के अंत से पांच वित्तीय वर्षों के लिए किसी समाचार एजेंसी के लिए कंपनी/एलएलपी को लिखित में आदेश द्वारा अनुमति प्रदान करेगा।

- (ii) कंपनी/एलएलपी, जिसके पास ऐसी अनुमति की अवधि के लिए, समाचार चैनल को अपलिक करने के लिए मंत्रालय की अनुमति हो;
- (iii) कंपनी/एलएलपी, जिसके पास ऐसी अनुमति की अवधि के लिए, समाचार एजेंसी के लिए मंत्रालय की अनुमति हो;

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित कोई कंपनी, एसएनजी/डीएसएनजी उपकरण की खरीद के लिए अनुमति के अनुरोध के प्रयोजन से, **परिशिष्ट-1** में यथा उल्लिखित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है

(3) मंत्रालय, स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि आवेदन नियमानुसार है और प्रस्ताव अन्यथा अनुमोदन के लिए उपयुक्त है, अधिमानतः आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपकरण की खरीद के लिए निम्नलिखित शर्तों पर उस कंपनी को अनुमति प्रदान करेगा:

- (क) डीएसएनजी/एसएनजी सिग्नल को केवल अनुमति धारक की अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट पर प्रसारित किया जाना चाहिए और सिर्फ उस टेलीपोर्ट के जरिए अनुमति प्राप्त सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण के लिए अपलिक किया जाना चाहिए।
- (ख) कंपनी/एलएलपी **परिशिष्ट-III** में विनिर्दिष्ट रोलआउट दायित्वों का पालन करेगी।
- (ग) डीएसएनजी/एसएनजी के प्रयोग को अनुमति सिर्फ उन क्षेत्रों/प्रदेशों/राज्यों में होगी जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है।
- (घ) कंपनी/एलएलपी डीएसएनजी/एसएनजी टर्मिनलों की खरीद के दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी और मंत्रालय को विभिन्न स्थानों पर इन टर्मिनलों के लगाने के बारे में सूचित करेगी।
- (ङ) डीएसएनजी/एसएनजी का प्रयोग करने हेतु अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी फ्रिक्वेंसी प्राधिकार के लिए डब्ल्यूपीसी को आवेदन करेगी।
- (च) अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी स्थान और घटनाक्रमों का दैनिक रिकार्ड रखेगी जो डीएसएनजी/एसएनजी टर्मिनलों द्वारा कवर और अपलिक किए गए हैं और उनके प्रमुख सैटेलाइट भू-केंद्रों पर डाउनलिक किए गए हैं तथा जब कभी आवश्यक हो, उसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करेगी जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे।
- (छ) अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रवेश नहीं करेगी।

- (ज) उपकरण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग किए गए क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाएगा।
- (झ) डीएसएनजी/एसएनजी के उपयोग के इच्छुक कंपनी/एलएलपी/चैनल ये बचनबद्धता देगी कि इसका उपयोग सिर्फ लाइव न्यूज गैदरिंग और फुटेज संग्रहण के लिए किया जाएगा।
- (ञ) उपरोक्त निबंधन और शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर डीएसएनजी/एसएनजी के उपयोग की अनुमति निरस्त/रद्द कर दी जाएगी।
- (ट) अनुमति देने वाला प्राधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, निर्धारित शर्तों में संशोधन कर सकता है अथवा नई शर्तें समाविष्ट कर सकता है।
- (ठ) अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए डब्ल्यूपीसी विंग को लागू शुल्कों/रॉयल्टी का भुगतान सहित अंतरिक्ष विभाग और डब्ल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगी।
- (ड) अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी अनुमति प्राप्त सभी डीएसएनजी/एसएनजी/ईएनजी टर्मिनलों के स्थान को लाइव देखने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी को एक उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करेगी।

16. डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण का प्रयोग - (1) डीएसएनजी/एसएनजी के प्रयोग की अनुमति लाइव न्यूज/फुटेज संग्रहण और पॉइंट-टू-पॉइंट प्रसारण के लिए भारत से अपलिक किए गए समाचार और करंट अफेयर्स चैनलों को दी जाएगी।

(2) पैरा 14 के तहत अनुमति वाली समाचार एजेंसी न्यूज/फुटेज के संग्रहण/प्रसारण के लिए डीएसएनजी/ एसएनजी का प्रयोग कर सकती हैं।

(3) कंपनी/एलएलपी जिसके पास गैर समाचार चैनल है, जो अपने स्वयं के अनुमत टेलीपोर्ट से अपलिक है, अनुमत टेलीपोर्ट पर वीडियो फीड के अंतरण के लिए अपने अनुमोदित चैनलों के लिए डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण का उपयोग कर सकती है।

(4) सिर्फ मंत्रालय और दूरदर्शन द्वारा अनुमति-प्राप्त टेलीपोर्ट ऑपरेटर/चैनल के मालिक ही अन्य प्रसारकों को डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण/अवसंरचना हायर कर सकते हैं जिन्हें भारत से अपलिक करने की अनुमति प्राप्त है।

(5) अपलिंकिंग को एनक्रिप्टेड मोड में किया जाना चाहिए, ताकि वह केवल क्लोज्ड उपभोक्ता समूहों में रिसीव करने योग्य हो। सिग्नल को केवल लाइसेंसधारी के अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट पर डाउनलिंक और केवल उसी टेलीपोर्ट के माध्यम से अनुमति प्राप्त सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण हेतु अपलिंक किया जाना चाहिए।

(6) गैर-अनुमति प्राप्त कंपनी द्वारा अथवा किसी अनुमति प्राप्त चैनल के मालिक द्वारा डीएसएनजी/एसएनजी का किसी तरह का अनधिकृत प्रयोग/हायरिंग इन दिशानिर्देशों के तहत उल्लंघन माना जाएगा।

(7) कोई गैर-समाचार अथवा विदेशी चैनल दिशानिर्देशों के भाग-VII में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु अनुमति-प्राप्त डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

भाग-VII समारोहों का सीधा कवरेज

17. **समाचार और करंट अफेयर्स चैनल द्वारा सीधा प्रसारण** - (1) कोई समाचार चैनल जिसे इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है, इसे अनुमति-प्राप्त डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण का उपयोग करके अथवा किसी अन्य अनुमति-प्राप्त कंपनी से ऐसे उपकरण को हायर करके, ब्रॉडकास्ट सेवा पर मंत्रालय के साथ इस हायरिंग को पंजीकृत करने के बाद सामग्री को अपलिंक कर सकता है।

(2) कोई समाचार चैनल सामग्री को अपलिंक करने के लिए ईएनजी सेवा का भी उपयोग कर सकता है और ब्रॉडकास्ट सेवा पर मंत्रालय के साथ इस तरह की सेवा को पंजीकृत करेगा।

18. **गैर-समाचार और करंट अफेयर्स चैनल द्वारा किसी इवेंट का लाइव अपलिंकिंग:** (1) अनुमति-प्राप्त कोई गैर समाचार चैनल और करंट अफेयर्स चैनल भारत में किसी इवेंट के अपलिंकिंग के प्रयोजन से उन विवरणों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए लाइव इवेंट की प्रथम तिथि से कम से कम 15 पूर्ववर्ती दिनों में, **परिशिष्ट-I** में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शुल्कों का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर स्वयं को आनलाइन पंजीकृत कर सकता है जोकि आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) इवेंट की तारीख, समय, स्थान और नाम;

- (ख) प्रस्तावित कार्यक्रम/इवेंट का प्रसारण/अपलिक करने के लिए चैनल की/टेलीपोर्ट की सहमति;
- (ग) प्रस्तावित कार्यक्रम/इवेंट की विनिर्दिष्ट तिथियों और समय के साथ इवेंट के मालिक का यथोचित प्राधिकार;
- (घ) टेलीपोर्ट ऑपरेटर को जारी किया गया वैध डब्ल्यूपीसी लाइसेंस, जहां डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण अथवा ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जिसके लिए डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की आवश्यकता है।
- (ङ) जहां ईएनजी सेवा का उपयोग किया जाता है उसका विस्तृत विनिर्देश।

बशर्ते यदि कोई गैर-समाचार चैनल स्वयं को पंजीकृत किए बिना किसी इवेंट को लाइव अपलिक करता है, तो दिशानिर्देशों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते इसके बाद कि कोई गैर-समाचार चैनल किसी तरह के इवेंट का सीधा प्रसारण नहीं करेगा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है।

- (2) उप-धारा (1) के तहत ब्रॉडकास्ट सेवा पर पंजीकरण इवेंट का सीधा प्रसारण करने के लिए अन्य संबंधित प्राधिकारियों के अनुमोदन /एनओसी की मांग करने के लिए कंपनी/एलएलपी को सक्षम करेगा, और मंत्रालय द्वारा अलग से कोई अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) क्या लाइव अपलिक किया जा रहा इवेंट समाचार और करंट अफेयर्स प्रकृति का है अथवा नहीं इसका निर्णय मंत्रालय का होगा और कंपनी पर बाध्यकारी होगा।
- (4) कंपनी/एलएलपी अंतरिक्ष विभाग और डब्ल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगी जसमें स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए डब्ल्यूपीसी विंग को प्रयोज्य शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान शामिल है।

19. किसी विदेशी चैनल द्वारा लाइव इवेंट अपलिक करना: (1) किसी विदेशी चैनल/कंपनी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इस संबंध में ऑनलाइन किए गए आवेदन के माध्यम से पूर्व निर्धारित अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट के जरिए समय-समय पर किसी इवेंट का लाइव अपलिक करने के लिए एक समय में 12 महीने तक की अनुमति प्रदान की जा सकती है:

- (क) आवेदक के पास अनुमति की अवधि के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट के साथ बाध्यकारी करार है।

- (ख) आवेदक सीधा प्रसारण के लिए एक लाख रुपए प्रतिदिन के प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करता है।
- (ग) इस तरह से अपलिंक किया गया समाचार/फुटेज मुख्य रूप से विदेशी चैनल/समाचार एजेंसी द्वारा विदेश में उपयोग के लिए होगा और भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति और चैनल के पंजीकरण के बिना प्रसारण नहीं किया जाएगा।
- (2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधधीन होगी।

भाग-VIII

नाम और लोगो/सैटेलाइट/टेलीपोर्ट/परिचालनात्मक स्थिति में परिवर्तन

20. **टीवी चैनल का नाम और लोगो** - (1) कोई कंपनी/एलएलपी अनुमति प्राप्त टीवी चैनल पर केवल उस नाम और लोगो को प्रदर्शित करेगी जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बशर्ते कि नाम और लोगो का प्रदर्शन जिसकी अनुमति नहीं है या दोहरे लोगो का प्रदर्शन दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(2) कोई कंपनी/एलएलपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-1 में निर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर मंत्रालय को नाम और लोगो बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

(3) मंत्रालय, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संतुष्ट होने के बाद कि आवेदन सभी प्रकार से क्रम में है अधिमानतः, आवेदित परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(4) अनुमति-प्राप्त कंपनी/एलएलपी वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस में संशोधन करने के लिए डब्ल्यूपीसी विंग को प्रयोज्य संशोधन शुल्क का भुगतान करेगी।

कहेगा।

(2) जहाँ कोई टीवी चैनल 60 दिनों से अधिक निरंतर अवधि के लिए प्रचलनरत नहीं रह पाता है, तो कंपनी/एलएलपी प्रचलनरत नहीं रहने वाले चैनल के कारणों के साथ स्थिति के बारे में मंत्रालय को सूचित

टीवी चैनल का प्रचलनरत रहना आवश्यक है।

23. **अनुमति प्राप्त टीवी चैनल की परिचालन स्थिति** - (1) अनुमति की वैधता अवधि के दौरान किसी

(घ) निदेशक/नामित मंत्री/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की इस्तीफा

(ग) कंपनी/एलएलपी के पते और ऐ से अन्य संपाद विवरणों में परिवर्तन

(ख) प्रसारण के तरीके में परिवर्तन;

(क) प्रसारण की भाषा में परिवर्तन;

लिए मंत्रालय को ब्रॉडकास्ट सेवा पर सूचना प्रस्तुत कर सकती है।

22. **भाषा परिवर्तन, प्रसारण का तरीका, आदि के लिए सूचना**(1) किसी चैनल को अपारिंक करने/डाउनलिक करने के लिए दिशानिर्देश के तहत अनुमति वाली किसी कंपनी/एलएलपी, निम्नलिखित के

सकती है।

(4) डाउनलिक किए गए चैनल के सैटेलाइट या टेलीपोर्ट में परिवर्तन के संबंध में चैनल को डाउनलिक करने की अनुमति वाली कंपनी/एलएलपी को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत कर

अधिमामत: प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कंपनी/एलएलपी को अनुमति प्रदान करेगा।

(3) मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग से प्रस्तावित परिवर्तन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर

(2) आवेदन को संसाधन के लिए अंतरिक्ष विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।

सकती है।

21. **सैटेलाइट/टेलीपोर्ट में परिवर्तन:** (1) किसी चैनल का अपारिंक करने की अनुमति वाली ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सैटेलाइट/टेलीपोर्ट के परिवर्तन के लिए आवेदन कर कंपनी/एलएलपी सैटेलाइट/टेलीपोर्ट सेवा प्रदाता के साथ वृथ करार के साथ **परिच्छेद-1** में निर्दिष्ट प्रक्रिया

बशर्ते कि 60 दिनों की निरंतर अवधि से परे किसी चैनल की गैर-परिचालन स्थिति के बारे में मंत्रालय को सूचित करने में विफलता को दिशानिर्देशों के तहत उल्लंघन माना जाएगा।

बशर्ते कि आगे 90 दिनों से अधिक की निरंतर अवधि तक चैनल गैर-प्रचालनरत नहीं रहेगा।

भाग IX

उल्लंघन के लिए शास्तियां

24. कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के परिणाम - (1) जब कभी किसी चैनल को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन में, किसी सामग्री का प्रसारण करते हुए पाया जाता है तो इसपर निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी:

- i. कंपनी को लिखित में एडवाइजरी प्रेषित करना;
- ii. कंपनी को लिखित में चेतावनी प्रेषित करना;
- iii. चैनल पर चलाए जाने के लिए माफी नामा
- iv. चैनल पर कंपनी के निदेशक/सीईओ द्वारा पढ़े जाने के लिए माफी का विवरण;
- v. चैनल को निर्दिष्ट संख्या में घंटे/दिनों के लिए बंद करने का निदेश देना;
- vi. अनुमति का स्थगन/निरसन;

2. उप-पैरा (1) के प्रयोजन के लिए, मंत्रालय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई करेगा।

25. अन्य नियम और शर्तों के उल्लंघन के परिणाम: (1) जब कभी किसी अनुमति धारक को अनुमति के किसी भी निबंधन और शर्तों अथवा पैरा 24 (1) में उल्लिखित उल्लंघन को छोड़कर, इन दिशानिर्देशों के किसी अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो मंत्रालय को निम्नलिखित के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा:

सारणी: उल्लंघन के लिए कार्रवाई

क्र.सं.	उल्लंघन	उल्लंघन के लिए कार्रवाई
i.	कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव के बारे में सूचना देने में विलंब।	चेतावनी
ii.	मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक/नामित भागीदार की नियुक्ति।	चेतावनी, इस शर्त के साथ कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक मंत्रालय द्वारा उसकी नियुक्ति का अनुमोदन किए जाने तक उस प्राधिकार से कार्य नहीं करेगा।
iii.	उस मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक/नामित भागीदार को नहीं हटाया जाना जिसकी सुरक्षा निकासी स्वीकृत नहीं की गई है।	30 दिनों तक प्रसारण का निषेध, निरंतर चूक के मामले में अनुमति का निलंबन
iv.	दोहरा लोगो/ लोगो चिह्न अथवा नाम दर्शाना जिसकी अनुमति मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है	दोहरा लोगो / लोगो चिह्न को हटाने का निर्देश देते हुए आदेश; गैर-अनुपालन के लिए 30 दिनों तक प्रसारण का निषेध
v.	दो अनुगामी वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित निवल मूल्य बनाए नहीं रखना	चेतावनी
vi.	मंत्रालय को सूचित किए बिना, लगातार 60 दिनों से अधिक (परंतु 90 दिनों से कम) परिचालन में नहीं रहने वाले चैनल के संबंध में	चेतावनी
vii.	निरंतर 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए परिचालन में नहीं रहने वाले चैनल के संबंध में	निलंबन; निरंतर चूक के लिए अनुमति का निरसन
viii.	देय तिथि से एक वर्ष की अवधि से ज्यादा अवधि तक वार्षिक अनुमति शुल्को का भुगतान नहीं करना	30 दिनों तक प्रसारण पर प्रतिबंध; निरंतर चूक के लिए चैनल का निलंबन

ix.	किसी गैर-समाचार और समसामयिक चैनल द्वारा किसी लाइव इवेंट के प्रसारण के लिए पंजीकृत नहीं होना	चेतावनी और/अथवा सीधे प्रसारण पर रोक, 10 दिनों तक प्रसारण पर प्रतिबन्ध, छह माह की अवधि के लिए सीधे प्रसारण पर रोक
x.	गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी लाइव इवेंट का प्रसारण, जिसकी सामग्री कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है	सीधे प्रसारण पर रोक, 10 दिनों तक सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध
xi.	ऐसे डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण का उपयोग जिनकी अनुमति नहीं है	30 दिनों तक प्रसारण पर प्रतिबंध; निरंतर चूक के लिए अनुमति का निलंबन/रद्दकरण
xii.	मंत्रालय की अनुमति के बिना चैनल का स्थानान्तरण	अनुमति का निलंबन/ रद्दकरण
xiii.	टेलीपोर्ट ऑपरेटर द्वारा एक गैर-अनुमत / निलंबित / रद्द किये गए टीवी चैनल की अपलिकिंग	सुरक्षा जमा राशि की जब्ती; जब्ती के 15 दिनों के भीतर टेलीपोर्ट को नई सुरक्षा जमा राशि देनी होगी जैसाकि परिशिष्ट IV में उल्लेखित है; लगातार चूक होने पर अनुमति का निलंबन/रद्दकरण

(2) उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित उल्लंघन के निरंतर किसी एक या अधिक चूक के मामले में, मंत्रालय उच्च दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट को छोड़कर, किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उप-पैरा (1) में उल्लिखित एक या अधिक दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(4) इस पैरा के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि कंपनी/एलएलपी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

26. **केंद्र सरकार की शक्तियां :** (1) केबल टेलीविज़न (नेटवर्क) विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार आदेश के द्वारा किसी भी कार्यक्रम या चैनल के संचालन को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है और वह कंपनी/एलएलपी तुरंत इस तरह के किसी भी आदेश का अनुपालन करेगा।

(2) मंत्रालय को किसी चैनल की अनुमति को निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने या सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी अनुमति को रद्द करने का अधिकार होगा, जिसमें कंपनी/एलएलपी किसी भी स्पष्ट या निहित करार या व्यवस्था के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को चैनल के मुख्य कार्यों या अन्य मुख्य कार्यों/कार्यकलापों के संचालन को अधिकृत या सक्षम या अनुबंधित करके अनुमति का दुरुपयोग किया गया पाया जानाया मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कंपनी/एलएलपी के स्वामित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना जिससे कंपनी/एलएलपी के प्रबंधन और नियंत्रण में पूर्ण परिवर्तन हो गया हो, शामिल हो, और वह कंपनी या एलएलपी ऐसे निदेशों का तुरंत पालन करेगा।

(3) जब कभी किसी अनुमति प्राप्त चैनल या किसी टेलीपोर्ट या एक डीएसएनजी/एसएनजी को किसी भी आपत्तिजनक अनधिकृत सामग्री, संदेश या लोकहित या राष्ट्रीय सुरक्षा से असंगत संचार का प्रसारण करते हुए अथवा अपलिंक करते हुए प्रयोग किया गया पाया जाता है या इस पैरा में संदर्भित निदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो दी गई अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा और कंपनी/एलएलपी को अन्य लागू कानूनों के तहत दंड के अलावा, पांच साल की अवधि के लिए ऐसी किसी भी अनुमति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(4) केंद्र सरकार, समय-समय पर, कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता और केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और दिशा निर्देशों के संबंध में, ऐसी अन्य एडवाइजरी के पालन के लिए सामान्य एडवाइजरी जारी कर सकती है और चैनल ऐसी एडवाइजरी का अनुपालन करेगा।

भाग X

विविध

27. **किसी चैनल की श्रेणी में परिवर्तन –** (1) जब कोई अनुमति धारक चैनल की श्रेणी गैर-समाचार और समसामयिक मुद्दों से समाचार और समसामयिक मुद्दों अथवा विलोमतः श्रेणी में परिवर्तन का प्रयोजन रखता है तो वह इसके लिए अपेक्षित शुल्क, जैसा कि **परिशिष्ट I** में दिया गया है, का भुगतान करके ब्रॉडकास्ट सेवा पर मंत्रालय को आवेदन कर सकता है।

(2) मंत्रालय पात्रता और अन्य शर्तों के दृष्टिकोण से आवेदन पर कार्रवाई करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर और गृह मंत्रालय से जहां भी आवश्यक हो, मंजूरी प्राप्त करके या अनापत्ति प्राप्त करके ऐसी अनुमति की शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति देगा।

28. नए कार्यकारी अधिकारी/निदेशक की नियुक्ति - (1) इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जो भी पदनाम दिया जाए) या निदेशक या नामोद्विष्ट भागीदार के रूप में किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी।

बशर्ते सिर्फ दो निदेशकों वाली कंपनी अथवा सिर्फ दो नामित भागीदारों वाली एलएलपी के मामले में नया निदेशक अथवा नामित भागीदार नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सुरक्षा मंजूरी के लिए अपेक्षित सभी विवरणों के साथ मंत्रालय को सूचना भेजी जाएगी। यदि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को निदेशक या नामित भागीदार के पद, जैसा भी मामला हो, से तत्काल हटा दिया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक/नामित भागीदार के रूप में नियुक्त करने के उद्देश्य से, कंपनी/एलएलपी गृह मंत्रालय को सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेंगे ताकि वह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी ले सके।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिमानतः गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के 7 दिनों के भीतर, अपनी अनुमति को कंपनी/एलएलपी को संसूचित करेगा और ऐसी संसूचना पर, व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक/नामित भागीदार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां गृह मंत्रालय सुरक्षा मंजूरी से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निदेशक/नामित भागीदार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

29. शेयरहोल्लिंग पैटर्न और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में परिवर्तन के संबंध में सूचना –

(1) पैरा 26 (2) के प्रावधानों के अधीन इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति वाली कंपनी/एलएलपी, इसके शेयर होल्लिंग पैटर्न या साझेदारी पैटर्न या एफडीआई पैटर्न में परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर संशोधित पैटर्न के विवरण के साथ और ब्रॉडकास्ट सेवा पर अपेक्षित प्रोफार्मा में सभी निवेशकों/भागीदारों के नाम/विवरण मंत्रालय को सूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: शेयर होल्लिंग/साझेदारी पैटर्न में परिवर्तन में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इक्विटी होल्लिंग/साझेदारी हिस्से में 10%या उससे अधिक परिवर्तन शामिल होगा।

(2) एफडीआई पैटर्न में हर बदलाव को भारत सरकार की एफडीआई नीति के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन शामिल है।

30. **सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करना** - मंत्रालय समय-समय पर कंपनी/एलएलपी से ऐसी सूचनाओं और दस्तावेजों की मांग कर सकता है जिनकी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता हो सकती है।

31. **विदेशी मुद्रा का प्रेषण** - (1) जहां किसी कंपनी/एलएलपी को इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति से संबंधित लेनदेन के लिए एक विदेशी संस्था को आरबीआई के अनुदेशों के तहत विदेशी मुद्रा को भेजने की आवश्यकता होती है, तो यह ब्रॉडकास्ट सेवापर ऑनलाइन आवेदन करके मंत्रालय की अनुमति ले सकता है।

(2) इस तरह के हर आवेदन पर मंत्रालय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों और तदनुसार प्रदान की गई अनुमति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

32. **किसी टेलीविजन चैनल या टेलीपोर्ट की अनुमति का स्थानांतरण** –(1) किसी टीवी चैनल या टेलीपोर्ट को मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से दूसरे कंपनी/एलएलपी को इन दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की गई अनुमति से किसी कंपनी/एलएलपी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2) उप- पैरा (1) के तहत केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी :

- (क) यदि मर्जर/डीमर्जर/समामेलन कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित देयता अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट/ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो और कंपनी/एलएलपी ने उपरोक्त स्कीम को मंजूरी देने वाली न्यायालय /ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रति दाखिल की हो;
- (ख) लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार व्यापार या उपक्रम का हस्तांतरण होगा और कंपनी/एलएलपी इसके और अंतरिती कंपनी/एलएलपी के बीच करार/व्यवस्था के आदेश की प्रति दाखिल करती है;
- (ग) अन्तरण समूह कंपनी के भीतर है और कंपनी यह कहते हुए वचनबंध दाखिल करती है कि अन्तरण समूह की कंपनियों के भीतर है।

स्पष्टीकरण 1: किसी कंपनी के संबंध में "समूह कंपनी" का तात्पर्य एक कंपनी है, जो एक ही प्रबंधन के तहत है और/या दूसरी कंपनी की तरह एक ही प्रमोटर है या जिस पर अन्य कंपनी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण करती है और इसमें एक सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी, होल्डिंग कंपनी या एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल होगी।

स्पष्टीकरण 2 : इस धारा के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव का तात्पर्य कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 20% नियंत्रण या समझौते अथवा अन्य किसी माध्यम से निदेशक मंडल के कम से कम एक तिहाई को नियुक्त करने का अधिकार है।

(3) चैनल का अन्तरण निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन होगा :

- (क) नई इकाई निवल मूल्य सहित इन दिशानिर्देशों के तहत पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र है और उसके निदेशकों/मनोनीत भागीदारों को सुरक्षा मंजूरी दी गई है।
- (ख) नई इकाई इस तरह से प्रदान की गई अनुमति के सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने का वचन देती है।
- (ग) चैनल के संचालन की तारीख से एक वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी, जिसके दौरान चैनल को किसी अन्य असंबंधित इकाई में अन्तरित नहीं किया जा सकता है।

33. केवल विदेशों में देखने के लिए टेलीविजन चैनल – (1) भारत में संचालित कोई भी टीवी चैनल और भारत से अपलिंक किया गया हो लेकिन केवल विदेशी दर्शकों के लिए है तो उसके लिए देश के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है जिसके लिए सामग्री का निर्माण और अपलिंक किया जाना है।

बशर्ते कि अपलिंक की गई सामग्री में ऐसी कोई भी चीज न हो, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अन्य देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ हो और निगरानी के उद्देश्यों से यह चैनल न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए सामग्री के रिकार्ड का संरक्षण करेगा।

(2) किसी विदेशी कंपनी/संस्था के स्वामित्व वाले चैनल को डाउनलिंक करने के लिए इसकी सामग्री को अपलिंक करने और संबंधित टेलीपोर्ट ऑपरेटर द्वारा इसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए ब्रॉडकास्ट सेवा पर एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट ऑपरेटर की सुविधा का उपयोग करके भारत से बाहर देखने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि इस तरह की सुविधा के उपयोग की अनुमति केवल गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।

34. अनिवार्य तकनीकी और परिचालन आवश्यकताएं - सैटेलाइट टीवी चैनलों/टेलीपोर्ट/डीएसएनजी/एसएनजी के अपलिंकिंग के संबंध में, तकनीकी और परिचालन आवश्यकताएं दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा यथा प्रकाशित मौजूदा भारतीय मानकों के अनुसार होगी और अनुमति धारक परिचालन की अनुमति प्राप्त अवधि के दौरान सैटेलाइट ट्रांसपोंडर, फ्रीक्वेंसी बैंड, पोलराइजेशन आदि जैसे तकनीकी पैरामीटरों में परिवर्तन के संबंध में मंत्रालय को सूचित करेगा।

35. सार्वजनिक सेवा प्रसारण की बाधयता -(1) चूंकि एयरवेक्स/फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग करने की आवश्यकता है, एक कंपनी/एलएलपी को इन दिशानिर्देशों के तहत भारत में चैनल को अपलिंक करने और इसकी डाउनलिंकिंग की अनुमति है (केवल भारत में डाउनलिंक किए गए विदेशी चैनलों के अलावा) राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् -


- i. शिक्षा और साक्षरता का प्रसार;
- ii. कृषि और ग्रामीण विकास;
- iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;
- iv. विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- v. महिलाओं का कल्याण;
- vi. समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण;
- vii. पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा; तथा
- viii. राष्ट्रीय एकीकरण

(2) चैनल, इस उद्देश्य के लिए, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट दायित्व को पूरा करने के लिए अपनी सामग्री को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं, सिवाय जहां यह संभव न हो, जैसे कि खेल चैनलों के मामले में, आदि।

(3) केंद्र सरकार, समय-समय पर, राष्ट्रीय हित में सामग्री के प्रसारण के लिए चैनलों को सामान्य एडवाइजरी जारी कर सकती है, और चैनल उसका पालन करेगा।

36. मौजूदा अनुमतियों पर दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता –इस दिशानिर्देशों में निर्धारित विभिन्न निबंधन एवं शर्तें स्वचालित रूप से दिनांक 5 दिसंबर, 2011 के 'टेलीविजन चैनलों के अपलिकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश' और 'टेलीविजन चैनलों के डाउनलिकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश' के तहत इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सभी अनुमतियों और अनुमोदनों पर लागू होंगी और सभी नई अनुमति/नवीनीकरण इन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगे।

37. अवशिष्ट खंड– सैटेलाइट टीवी चैनलों, समाचार एजेंसियों, डीएसएनजी/एसएनजी और दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए गए टेलीपोर्टों के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग से संबंधित किसी अन्य अनुमति/मामले के लिए, अथवा इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में किसी तरह की कठिनाई को हटाने के लिए, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी होंगे।



(संजीव शंकर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23387823

दिशानिर्देशों का परिशिष्ट-I

I. प्रक्रिया शुल्क

आवेदक कंपनी/एलएलपी निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क अदा करेगी:

क्र.सं.	अनुमति का प्रकार	शुल्क की राशि (रुपये में)
1.	टेलीपोर्ट	दस हजार
2.	टीवी चैनल	दस हजार
3.	समाचार एजेंसी	दस हजार
4.	चैनल की श्रेणी में परिवर्तन	दस हजार
5.	सैटेलाइट/टेलीपोर्ट में परिवर्तन	दस हजार
6.	डीएसएनजी/एसएनजी उपकरण की खरीद	दस हजार
7.	चैनल/टेलीपोर्ट/समाचार एजेंसी की अनुमति का नवीनीकरण	दस हजार
8.	नाम/लोगो में परिवर्तन	एक लाख

II. वार्षिक अनुमति शुल्क

अनुमतिधारक कंपनियों निम्नानुसार वार्षिक अनुमति शुल्क अदा करेंगी:

क्र.सं.	अनुमति का प्रकार	शुल्क की राशि (रुपये में)
1.	टेलीपोर्ट	एक टेलीपोर्ट का दो लाख
2.	टीवी चैनल की अपलिंकिंग	एक चैनल का दो लाख
3.	भारत से टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग	एक चैनल का पांच लाख
4.	भारत के बाहर से टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग	एक चैनल का पंद्रह लाख
5.	भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनल की अपलिंकिंग	एक चैनल का दो लाख

III. अन्य देशों से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों को डाउनलिंक करने के लिए पंजीकरण शुल्क:

एकमुश्त पंजीकरण शुल्क - 10 लाख रु.

IV. भुगतान अनुसूची

(1) पात्र माने जाने पर, कंपनी/एलएलपी आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के बाद पिछले वर्ष का अनुमति शुल्क भुगतान करेगी, जिसके बाद ही अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। अगले वर्ष के अनुमति शुल्क की नियत तारीख टेलीपोर्ट/ टीवी चैनल के संचालन की तारीख से 1 वर्ष तक की रहेगी और इसे ऐसे शुल्क के देय होने से 60 दिन पूर्व जमा करना होगा।

(2) नियत तारीख के बाद चुकाए गए वार्षिक शुल्क में प्रतिमाह 1% की साधारण ब्याज दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा। विलंब शुल्क की गणना हेतु अधूरे महीने को एक महीने के रूप में माना जाएगा।

V. गैर-समाचार चैनल द्वारा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए शुल्क:

- i. राष्ट्रीय चैनल : 1 लाख रुपये प्रति चैनल प्रति दिन;
- ii. क्षेत्रीय चैनल : 50,000 रुपये प्रति चैनल प्रति दिन
- iii. भक्ति चैनल : भक्ति/आध्यात्मिक/योग सामग्री के लिए कोई शुल्क नहीं।

दिशानिर्देशों का परिशिष्ट-II

अपेक्षित न्यूनतम निवल मूल्य

क्र.सं	मद	न्यूनतम निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)
1.	पहले टेलीपोर्ट के लिए	3.00
2.	प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए	1.00
3.	पहले गैर-समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनल के लिए	5.00
4.	प्रत्येक अतिरिक्त गैर-समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनल के लिए	2.50
5.	पहले समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनल के लिए	20.00
6.	प्रत्येक अतिरिक्त समाचार एवं करंट अफेयर्स टीवी चैनल के लिए	5.00

बाध्यता और कार्य निष्पादन बैंक गारंटी लागू करना (रोलआउट)

क्र.सं.	अनुमति का प्रकार	बाध्यताएं लागू करना
1	टेलीपोर्ट	<ul style="list-style-type: none"> पात्र माने जाने के पश्चात, आवेदक कंपनी/एलएलपी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में किसी भी अधिसूचित बैंक से, उपरोक्त निर्धारित रोलआउट बाध्यता को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुमति पत्र जारी होने से पूर्व प्रत्येक टेलीपोर्ट के लिए 25 लाख रु. की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगी। कंपनी डब्ल्यू पी सी और एनओसीसी से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर टेलीपोर्ट को प्रचालित करेगी। यदि टेलीपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर प्रचालित नहीं होता है तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।
2	टीवी चैनल	<ul style="list-style-type: none"> पात्र माने जाने के बाद, आवेदक कंपनी/एलएलपी रोल आउट बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुमति पत्र जारी होने से पूर्व प्रत्येक समाचार/ गैर-समाचार और करंट अफेयर्स चैनल के लिए किसी भी अधिसूचित बैंक से एक करोड़ रु.(गैर समाचार एवं करंट अफेयर्स चैनल के लिए) 2 करोड़ रुपए (समाचार एवं करंट अफेयर्स चैनल के लिए) की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगी। आवेदक कंपनी/एलएलपी डब्ल्यूपीसी और एनओसीसी से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अनुमति प्राप्त टीवी चैनल को प्रचालित करेगा। यदि चैनल निर्धारित अवधि के भीतर प्रचालित नहीं किया जाता है तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।
3	एसएनजी/डीएसएनजी	<ul style="list-style-type: none"> पात्र माने जाने के बाद, आवेदक कंपनी/एलएलपी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में उपरोक्त निर्धारित रोल

